

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाणा जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/824

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महिलावास व भू.अ.नि. मोकलसर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाणा/समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा .....

जनाधार कार्ड, आधार कार्ड

पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाणा/समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाणा/समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>बूढराडा</u>	11, 34, 341, 9, 201,	<u>सन्तोष केवर पुत्री</u>	<u>चतरकवर डफ सन्तोष केवर पुत्री</u>
02	<u>नया बूढराडा</u>	28, 94, 306, 232, 234, 74, 85, 86, 87	<u>माधो सिंह सरंक्षक सरपरस्त लूंगा केवर</u>	<u>माधो सिंह</u>

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाणा (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/ 38

दिनांक:- 16/10/2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाणा/समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण चतरकवर पुत्री माधो सिंह जाति राजपूत निवासी बूढराडा तहसील सिवाणा/समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाणा (बालोतरा)  
सिवाणा (बालोतरा)

